

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर



“छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970

(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित”

{ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय }
रजिस्ट्रार कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर
492010 (छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165, 094255 03168 (मोबाईल)

वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in

क्रमांक - 01/निर्वाचन 2017/नियम 5/1022-24

रायपुर, दिनांक - 22/11/2017

निर्वाचक नामावली का प्रकाशन

जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 5 के परिपालन में छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किया है। जिसमें संभाग में निवास या व्यवसाय करने वाले समस्त रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों का नाम अन्तर्विष्ट है।

अतः छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 5 के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर एतद् निदेश देता है कि निर्वाचक नामावली का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में होगा।

टिप्पणी - भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 तथा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के प्रावधानों के अधीन दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक व्यवसायियों का राज्य रजिस्ट्रार में नामावलीगत व्यवसायियों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने में प्रत्येक सावधानी बरती गयी है और उसमें प्रविष्टियों या किसी त्रुटि से संबंधित कोई आपत्ति, निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार को उसके कार्यालय में राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस या उसके पूर्व की जा सकेगी।

(डॉ. रक्षपाल गुप्ता)

निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर
